28/8/19

अभि० अधिवक्ता उप० से जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं निवेदन किया कि प्रा०पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किये जाने में अभि० अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभि० अप्रार्थीगण की सहमति के मद्दनजर स्वीकार किया जाता है मूल वाद पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म हुआ इजलास सुनाया गया।